[2019] 6 एस. सी. आर 845

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड।

वी.

अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस।

(2007 की सिविल अपील सं. 415)

02 मई, 2019

[अरुण मिश्रा और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998: एस. 22 (2) (एन) और 29 (3)-स्टैंडबाय शुल्क-अपीलार्थी-टी. पी. सी. की मात्रा, वितरण पूरे मुंबई और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को बिजली की आपूर्ति करने वाला लाइसेंसधारी, केवल मुंबई के उपनगरों में बिजली की आपूर्ति करने वाला वितरण लाइसेंसधारी 1998 से 2006 तक बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से बिजली खरीदता था।

29 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के बीच टी. पी. सी.-बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को देय टैरिफ में स्टैंडबाय शुल्क का एक घटक शामिल था-टी. पी. सी. द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान किए गए स्टैंडबाय शुल्क-एम. एस. ई. बी. को टी. पी. सी. द्वारा अपने ग्राहकों से अपने टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जा रहा था-महाराष्ट्र सरकार का आदेश जिसमें 29 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की राशि निर्धारित की गई थी। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. को स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से प्रति माह 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

आर. ई. एल. से टी. पी. सी.-एम. ई. आर. सी. द्वारा बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को टी. पी. सी. द्वारा किए गए कुल स्टैंडबाय शुल्क का लगभग 23 प्रतिशत वहन करने का आदेश-ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील-टी. पी. सी. का मामला कि स्टैंडबाय शुल्क 50 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिएः 50 सभापति ने अभिनिर्धारित किया कि देयता 2 के अनुपात में होगीः 1 शुल्क, जबकि न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य अलग-अलग थे-एम. ई. आर. सी. के निर्णय, साथ ही तकनीकी और न्यायिक सदस्य, प्रतिशत का निर्धारण करते हुए

23 के रूप में स्टैंडबाय शुल्कः 77 बी. एस. ई. एस/आर. ई. एल. और टी. पी. सी. के संबंध में

अवधि के लिए क्रमशः-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से बिजली खरीदी जाती थी और स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान किया जाता था जो शुल्क में शामिल थे, जो दायित्व अंततः खुदरा उपभोक्ताओं को दिया जाता था-अनुपात

समान खेल के मैदान को लागू करके सबसे न्यायसंगत तरीके से उचित रूप से काम किया गया-रुपये के स्टैंडबाय शुल्क को ध्यान में रखते हुए। एम. एस. ई. बी. द्वारा टी. पी. सी. से 24.75 करोड़ की वसूली की गई

और सरकारी आदेश और समझौते के सिद्धांतों के अनुसार रु। 3. 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे थे और बकाया राशि को बढ़ाने के लिए स्टैंडबाय का अंतर किया गया था। 24.75 करोड़ प्रति माह

रु. तक। 30.25 करोड़ प्रति माह-इस प्रकार, बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा उक्त अवधि के लिए टी. पी. सी. को भुगतान किए जाने वाले स्टैंडबाय शुल्क के प्रतिशत पर काम करते समय तकनीकी और न्यायिक सदस्यों का निर्णय उचित और उचित है-बहुमत की राय है कि स्टैंडबाय सुविधा

टी. पी. सी. द्वारा प्रदान की गई अपनी उत्पादन क्षमता से बाहर थी और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से 90 प्रतिशत ऊर्जा ली गई है, यह स्वीकार किया जाता है-इस प्रकार, टी. पी. सी. के लिए 50 का दावा करने का कोई औचित्य नहीं हैः 50 % स्टैंडबाय शुल्कों को साझा करना-ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश को लागू करने का मतलब यह होगा कि उसके द्वारा किए गए निर्धारण पर कार्रवाई की गई है और शुल्क में शामिल किए गए संबंधित दायित्व को ग्राहकों और वास्तविक उपभोक्ताओं पर पारित किया गया है और उनसे महसूस किया गया है क्योंकि आदेश के कार्यान्वयन पर ऐसी कोई अंतरिम रोक नहीं थी। एपीटीईएल के तकनीकी और न्यायिक सदस्यों द्वारा पारित किया गया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

इन्हें अपने खुदरा ग्राहकों से लिए गए शुल्क में शामिल किया गया था। आपूर्ति की सीमा तक स्टैंडबाय शुल्क बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से इष्टतम आपूर्ति के लिए वहन किया गया था जब इंटरकनेक्टिविटी थी सरकारी आदेश के अनुसार बोरीवली बिंदु पर प्रदान किया गया। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच इस बात को लेकर विवाद पैदा हुआ कि क्या बिजली आपूर्ति बाधित होने और विफल होने की स्थिति में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को टी. पी. सी. से 275 एम. वी. ए. प्राप्त करने का अधिकार है, जो शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता थी, वे उन शुल्कों से अधिक थे जो वास्तव में ली गई ऊर्जा के लिए भुगतान किए जाएंगे। टी. पी. सी. रुपये की राशि का भुगतान कर रहा था। 24.75

प्रति माह करोड़-एम. एस. ई. बी. को स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से प्रति वर्ष Rs.297 करोड़ जो शुल्क में बनाया गया था। उक्त राशि टी. पी. सी. द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की गई थी जिन्होंने बदले में इसे अपने खुदरा उपभोक्ताओं से वसूल किया। [पैरा 25] [866-ई-जी]

1.2 महाराष्ट्र सरकार ने आवश्यक स्टैंडबाय शुल्क की मात्रा के मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. को भुगतान किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने 19.1.1998 दिनांकित एक आदेश पारित किया जिसके तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का योग निर्धारित किया गया।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस।

रु. बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से टी. पी. सी. को प्रति माह साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। समिति ने लिया फैसला

उसकी आत्मा। 21.4.1998 द्वारा एक विस्तृत बिजली आपूर्ति समझौता किया जाना था। समझौते को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि कई पहलुओं के संबंध में आम सहमति नहीं बन सकी। दिनांकित 22.3.2000 आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, जिसके आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था और मामले को निर्णय के लिए एम. ई. आर. सी. को भेज दिया गया था, जो एक विशेषज्ञ निकाय है। एम. ई. आर. सी. को दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई थी। 27.10.2000 विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 22 (2) (एन) के प्रावधान के तहत,

लाइसेंसधारियों और उपयोगिताओं के बीच विवाद और मतभेद। उस पर

4.12.2000 , बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. और टी. पी. सी. के बीच स्टैंडबाय शुल्क साझा करने के संबंध में एम. ई. आर. सी. को एक आवेदन दायर किया था। प्रार्थना उनके द्वारा लगाए गए कार्रवाई और स्टैंडबाय शुल्क को विनियमित करने और उनके द्वारा देय स्टैंडबाय शुल्क को तय करने और निर्धारित करने के लिए की गई थी। [पैरा 27] [867-सी-एफ]

1.4 अंततः, ए. पी. टी. ई. एल. ने विवादित आदेशों द्वारा मामले का फैसला किया है। सभापति ने माना कि दायित्व में होना चाहिए

2 का अनुपातः 1 शुल्क, जबकि न्यायिक सदस्य ने तकनीकी सदस्य के साथ सहमति व्यक्त की है जब तकनीकी सदस्य ने अध्यक्ष की राय से असहमति जताई है, लेकिन तथ्य यह है कि एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. ने भी टी. पी. सी. के मामले को स्वीकार नहीं किया है कि स्टैंडबाय शुल्क 50 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिएः 50 .

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ तकनीकी और न्यायिक सदस्यों के निर्णय सही पाए गए हैं जबकि अनुपात को 23 बताया गया हैः 77 क्रमशः बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. और टी. पी. सी. के संबंध में। [पैरा 28] [867-एफ-जी]

1.5 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से, कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता थी

विचार करते हुए, उस आधार पर कहा गया आंकड़ा तैयार किया गया है। यह भी माना गया है कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से उपरोक्त सीमा तक बिजली खरीदी जाती थी और स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान किया जाता था जो शुल्क में शामिल थे, जो दायित्व अंततः खुदरा उपभोक्ताओं को दिया जाता था। यहां तक कि जब समझौते के सिद्धांतों पर पहुंचा दिया गया है

स्टैंडबाय शुल्क हालांकि यह संशोधन के आधार पर तय किया गया था

जिनसे अलग नहीं किया जा सकता था, वे कई पहलुओं पर विचार कर रहे थे। समान अवसर लागू करके अनुपात को उचित रूप से सबसे न्यायसंगत तरीके से तैयार किया गया था। रुपये के स्टैंडबाय शुल्क को ध्यान में रखते हुए। एम. एस. ई. बी. द्वारा टी. पी. सी. से 24.75 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो 1.10.1996 से प्रभावी है और सरकारी आदेश और समझौते के सिद्धांतों के अनुसार रु. 3. 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे थे और बकाया राशि को बढ़ाने के लिए स्टैंडबाय का अंतर किया गया था। 24.75 करोड़ पी. एम. से रु. 30.25 करोड़ बजे। इस प्रकार, तकनीकी और न्यायिक का निर्णय

बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए टी. पी. सी. को भुगतान किए जाने वाले स्टैंडबाय शुल्क के प्रतिशत का निर्धारण करते समय सदस्य उचित और उचित पाए जाते हैं। [पैरा 29] [867-एच; 868-ए-डी]

1.6 एम. ई. आर. सी. ने देय स्टैंडबाय शुल्क को साझा करने का निर्देश दिया

टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच एम. एस. ई. बी. को उनकी संबंधित अधिकतम भार आवश्यकताओं के आधार पर और टी. पी. सी. को बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को रु। 15 दिनों के भीतर 315.30 करोड़। द. स्टैंडबाय क्षमता की मात्रा बड़ी इकाई के आकार से संबंधित है

किसी भी प्रणाली में पीढ़ी। बहुमत की राय है कि टी. पी. सी. द्वारा प्रदान की गई स्टैंडबाय सुविधा अपनी उत्पादन क्षमता से बाहर थी और 90 प्रतिशत बार बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से ऊर्जा ली गई है, यह स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, टी. पी. सी. के लिए 50 का दावा करने का कोई औचित्य नहीं हैः 50 विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए इस मामले के तथ्यों में स्टैंडबाय शुल्क का प्रतिशत साझा करने का निर्णय लिया गया है।

[पैरा 31] [870-जी] टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस।

1.7 ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश पर कोई रोक नहीं थी

इस न्यायालय द्वारा। टी. पी. सी. द्वारा लिए गए आदेश को लागू न करने की दलील समझ में नहीं आती है। यह केवल बैंक गारंटी थी जो टी. पी. सी. द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसके अलावा, इस न्यायालय के महापंजीयक के पास Rs.227 करोड़ की राशि जमा करने के लिए। द.

ए. पी. टी. ई. एल. का आदेश पहले ही तैयार किया जा चुका है अन्यथा यह न्यायसंगत पाया जाता है और न्यायसंगत स्वीकार किया जाता है। [पैरा 32] [870-एच; 871-ए-बी]

1.8 संविधान के अनुच्छेद 14 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

संविधान। वास्तव में, समझौते के सिद्धांतों में जो सहमति हुई थी, उससे अधिक राशि का आदेश दिया गया है

व्यावसायिक संतुलन के सिद्धांतों और अन्य कारकों के आधार पर भुगतान किया जाता है। [पैरा 33] [871-सी]

1.9 तकनीकी और न्यायिक सदस्यों द्वारा पारित आदेश

ए. पी. टी. ई. एल. का समर्थन किया जाता है। आर. ई. एल. को देय राशि जो इस न्यायालय के पंजीयक के पास पड़े ब्याज के साथ टी. पी. सी. द्वारा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा या सुरक्षित की जाती है, का भुगतान प्रतिवादी कंपनी को किया जाना चाहिए। [पैरा 35] [871-ई-एफ]

बीएसईएस लिमिटेड बनाम। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (2004) 1 एस. सी. सी.

195 : [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 932; बिनानी जिंक लिमिटेड बनाम

केरल राज्य विद्युत बोर्ड, (2009) 11 एस. सी. सी. 244: [2009] 4 एस. सी. आर. 636-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 4 पूरक। एससीआर 932

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[2009] 4 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 415

2007 .

अपीलीय के 20.12.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 की अपील संख्या 202 में मुंबई में विद्युत न्यायाधिकरण।

के साथ

2007 की सिविल अपील सं. 3229।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोपाल जैन, जे. जे. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. एन. करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, पराग कबड्डी, सुश्री दीप्ति सरीन, संजीत रंजन, सौरभ

कुमार, श्रीमती माणिक करंजावाला, सुश्री अंजलि चंदुरकर, हसन मुर्तजा, सुश्री दिव्या आनंद, कार्तिक आनंद, कुमार अनुराग सिंह, सुश्री रमनी तनेजा, अनिल श्रीवास्तव, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षों के लिए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. अपीलार्थी-टाटा पावर कंपनी (संक्षेप में 'टी. पी. सी.') एक वितरण लाइसेंसधारी है जो पूरे मुंबई शहर को बिजली की आपूर्ति करती है।

जबकि बी. एस. ई. एस./रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (संक्षेप में 'आर. ई. एल.') केवल मुंबई के उपनगरों में बिजली की आपूर्ति करने वाला एक वितरण लाइसेंसधारी है। 1998 से पहले, टी. पी. सी. बी. एस. ई. एस. ग्राहकों को आगे की आपूर्ति के लिए बी. एस. ई. एस. को बिजली की आपूर्ति करने वाला एकमात्र जनरेटर था। टीपीसी

पूरे मुंबई शहर में उनके 108 ग्राहक थे। बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को देय शुल्क में स्टैंडबाय शुल्क का एक घटक शामिल था। टी. पी. सी. द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में 'एम. एस. ई. बी.') को भुगतान किए गए सभी स्टैंडबाय शुल्क टी. पी. सी. द्वारा अपने ग्राहकों से अपने शुल्क के माध्यम से वसूल किए जा रहे थे। शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के कारण, बी. एस. ई. एस. को 24.2.2004 पर रिलायंस एनर्जी लिमिटेड में बदल दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. के प्रतिनिधियों के बीच परस्पर संबंध को अंतिम रूप देने के लिए 12.3.1985 पर मुलाकात की।

माँग शुल्कक संबंधमे एमएसईबी। निम्नलिखित निर्णय लिया गया था

यहाँः

" क) माँग शुल्कः

प्रभावी 1-2-84 300 एम. वी. ए. की मासिक निश्चित मांग का बिल एम. एस. ई. बी. द्वारा दिया जाएगा। टी. ई. सी. की अपनी भार वृद्धि को सालाना ध्यान में रखने के लिए यह हर साल 50 एम. वी. ए. की वृद्धि करेगा। यह टी. ई. सी. के वास्तविक नेट ऑफ के बावजूद है-आपूर्ति के 4 आपस में जुड़े बिंदुओं पर रिकॉर्ड किया गया और एम. एस. ई. बी. के बावजूद भी।

कुल बंद-टी. ई. सी. प्रणाली से लें "

3. 1985 से पहले, टी. पी. सी. मुंबई में बिजली वितरकों को अपने द्वारा उत्पादित पूरी बिजली की आपूर्ति कर रहा था। जब से मात्रा

टी. पी. सी. द्वारा उत्पन्न पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, टी. पी. सी. एम. एस. ई. बी. से बिजली खरीदता था। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. उपनगरीय मुंबई में अपने ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए टी. पी. सी. से थोक में बिजली की अपनी पूरी आवश्यकता खरीद रहा था।

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

4. 1985 से टी. पी. सी. अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती थी जिससे एम. एस. ई. बी. से बिजली का उसका उठाव घटकर शून्य हो गया।

जिससे एम. एस. ई. बी. को राजस्व का नुकसान होता है। टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. से बिजली की खरीद बंद होने के परिणामस्वरूप हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. में प्रवेश किया।

उपरोक्त व्यवस्था जिसके तहत टी. पी. सी. को एम. एस. ई. बी. को भुगतान करना आवश्यक था

मुंबई। टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. को भुगतान किए गए स्टैंडबाय सुविधा शुल्क को टी. पी. सी. द्वारा बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. सहित अपने ग्राहकों से लिए गए शुल्क में शामिल किया गया था। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. टी. पी. सी. से 1998 से 2006 तक 29 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के बीच टी. पी. सी. के उत्पादन की सीमा तक बिजली का खरीदार था, इस प्रकार स्टैंडबाय शुल्क उपरोक्त अलग-अलग प्रतिशत की सीमा तक था। संबंधित वर्षों के लिए बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा वहन किया जाता था जिसे बदले में टैरिफ में शामिल किया जाता था और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा अपने खुदरा ग्राहकों से शुल्क लिया जाता था।

5. शुरुआत में, बी. एस. ई. एस. को 500 मेगावाट (लगभग 550 एम. वी. ए.) उत्पादन के लिए दहानु में अपना उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। वहाँ एक था

शर्त यह है कि बी. एस. ई. एस. उत्पादन में कोई कमी होने की स्थिति में यह टी. पी. सी. की आपूर्ति के साथ बोरिवली इंटरकनेक्शन पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले बिंदु पर इंटरकनेक्शन प्राप्त करेगा। यह टी. पी. सी. द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली का उपयोग कर सकता है। इस तरह के इंटरकनेक्शन के लिए शुल्क निर्धारित किया जाना था। 30.5.1992 पर, बी. एस. ई. एस. लाइसेंस में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। उपरोक्त अंतःसंयोजन प्रदान करने के लिए एक नया खंड 7 बी पेश किया गया था। राज्य को अधिकृत करने के लिए खंड 13 ए के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया।

विवाद की स्थिति में सरकार उसी पर निर्णय लेगी। 29.6.1992 पर, टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के बीच एक बैठक हुई और इस बात पर सहमति बनी कि

बी. एस. ई. एस. 220 के. वी. प्रणाली में आपात स्थितियों की देखभाल के लिए बोरीवली जी. आई. एस. स्विचिंग स्टेशन पर इंटरकनेक्शन प्रदान किया जाएगा। टी. पी. सी. के पास पहले से ही एम. एस. ई. बी. के साथ व्यवस्था है जिसमें टी. पी. सी. प्रणाली में आपात स्थिति के मामले में एम. एस. ई. बी. द्वारा टी. पी. सी. को स्टैंडबाय क्षमता प्रदान की जाती है।

बी. एस. ई. एस. को क्षमता टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. के साथ आरक्षित स्टैंडबाय क्षमता से प्रदान की जा सकती है और बी. एस. ई. एस. द्वारा शुल्कों के उचित बंटवारे पर काम किया जा सकता है जैसा कि खंड 12 में प्रदान किया गया है। सितंबर 1995 से पहले बी. एस. ई. एस. टी. पी. सी. से बिजली की अपनी पूरी आवश्यकता खरीद रहा था और इसे अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में टी. पी. सी. वितरण लाइसेंसधारी के रूप में वितरित कर रहा था। जनवरी/मार्च 1995 में अपनी दो डहाणू उत्पादन इकाइयों के चालू होने के बाद, बी. एस. ई. एस. ने सितंबर 1995 के बाद मुंबई शहर के उपनगरों में अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए डहाणू से उत्पन्न बिजली लाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे डहाणू से आपूर्ति शुरू हुई, टी. पी. सी. की अधिशेष क्षमता बढ़ने लगी। 1995 के बाद टी. पी. सी. को 550 एम. वी. ए. की स्टैंडबाय क्षमता के मुकाबले केवल 275 एम. वी. ए. स्टैंडबाय सुविधा की आवश्यकता थी।

6. एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. के लिए अपने शुल्क को संशोधित करते हुए 28.6.1996 पर नोटिस जारी किया जो 1.10.1996 से प्रभावी है। एमएसईबी ने अपनी अधिकतम मांग बढ़ाई स्टैंडबाय सुविधा/आपूर्ति के संबंध में प्रति माह शुल्क Rs.190/- प्रति केवीए से Rs.450/- प्रति केवीए। नतीजतन, एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. को नोटिस दिया, अन्य बातों के साथ-साथ, टी. पी. सी. से वसूली योग्य अपने स्टैंडबाय शुल्क को 1.10.1996 से संशोधित करके रु. 24.75 करोड़ प्रति माह यानी Rs.297 करोड़ प्रति वर्ष।

7. टी. पी. सी. ने बिजली (आपूर्ति) की अनुसूची VI के तहत महाराष्ट्र सरकार और एम. एस. ई. बी. को 30.7.1996 पर एक नोटिस जारी किया था।

अधिनियम, 1948,1.10.1996 से प्रभाव के साथ शुल्क शुल्क बढ़ाने के अपने इरादे को दर्शाता है जिसमें अधिकतम मांग शुल्क और ऊर्जा शामिल थी

विभिन्न उपभोक्ताओं को शुल्क। इसने स्टैंडबाय सुविधा के लिए बी. एस. ई. एस. द्वारा अधिकतम मांग शुल्क और ऊर्जा शुल्क के भुगतान का भी प्रावधान किया। 1.1.1997 के प्रभाव से, टी. पी. सी. ने अपने शुल्क को अन्य बातों के साथ-साथ बी. एस. ई. एस. में संशोधित किया, जिससे मासिक मांग शुल्क में रु। तैयार आपूर्ति के लिए टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. को देय 24.75 करोड़। बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को भुगतान किए जाने वाले स्टैंडबाय शुल्क की मात्रा के मुद्दे को हल करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की और एक दिनांकित आदेश पारित किया गया जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने समिति की सिफारिश के आधार पर यह निर्धारित किया कि टी. पी. सी. के लिए रु. बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. को 1998-1999 अवधि के लिए स्टैंडबाय सुविधा के माध्यम से प्रति माह साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। यह राशि रु। 3. 5 करोड़ प्रति माह यानी Rs.42 करोड़ प्रति वर्ष रु। 24.75 करोड़ प्रति माह यानी Rs.297 करोड़ प्रति वर्ष जो टी. पी. सी. करता था

अपने ग्राहक से अपने शुल्क के रूप में वसूली करें। उपरोक्त राशि निर्धारित करने में, उक्त द्वारा निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा गया था

समितिः

एटा पावर कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

" (i) टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. की पीढ़ी;

((ii) उपभोक्ता के रूप में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. पर टी. पी. सी. द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली।

(iii) एम. एस. ई. बी. से टी. पी. सी. की स्टैंडबाय आपूर्ति; ((iv) टी. पी. सी. द्वारा भुगतान किए गए शुल्क;

(v) टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की वित्तीय स्थिति;

(vi) ग्रेटर की स्थिरता के लिए उस स्टैंडबाय की आपूर्ति की जा रही थी

मुंबई ग्रिड। ”

8. 17.12.1997 पर, टी. पी. सी. ने तर्क दिया कि यह पूरी तरह से सक्षम था और

अपने डहाणू संयंत्र के लिए बी. एस. ई. एस. को स्टैंडबाय आपूर्ति करने के लिए एनजी और टी. पी. सी. को बी. एस. ई. एस. की तुलना में अपने उपभोक्ताओं के लिए केवल 275 एम. वी. ए. स्टैंडबाय सुविधा के लिए बिल देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया

1998 , उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित हैः

तैयार हैं। इसी तरह, एम. एस. ई. बी. के बायोसर इंटरकनेक्शन के माध्यम से डहाणू में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड को बेची जा रही है। नतीजतन, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि डहाणू में उत्पन्न बिजली का उपयोग इसके भीतर किया जाना चाहिए बी. एस. ई. एस. आपूर्ति क्षेत्र को पूरा नहीं किया गया है और बी. एस. ई. एस. लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसके लिए सरकार ने प्रधान सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में एमएसईबी, टीईसी और बी. एस. ई. एस. के प्रतिनिधि सदस्य थे। इस समिति ने पूरी स्थिति की जांच की है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

इसके बाद जी. ओ. एम. ने निम्नानुसार आदेश दियाः

" समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए,

सरकार के आदेश निम्नलिखित हैं।

1. बी. एस. ई. एस. को जनवरी तक बोरीवली में इंटरकनेक्शन पूरा करना चाहिए।

26 , 1998 .

2. बी. एस. ई. एस. को टी. ई. सी. से 275 एम. वी. ए. स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति लेनी चाहिए

डहाणू उत्पादन केंद्र के लिए।

3. स्टैंडबाय आपूर्ति से ऊपर लेने के लिए, बी. एस. ई. एस. को स्टैंडबाय भुगतान करना चाहिए

टी. ई. सी. को शुल्क।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. इंटरकनेक्शन चालू होने के बाद, बी. एस. ई. एस. को एम. एस. ई. बी. के बोइसर उप-स्टेशन के माध्यम से बिजली बेचना बंद कर देना चाहिए।

पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड।

5. टी. ई. सी. 275 एम. वी. ए. आपूर्ति के लिए स्टैंड-बाय शुल्क ले सकता है

बीएसईएस।

6. आपात स्थिति के दौरान जब भी आवश्यकता हो, एम. एस. ई. बी. के बोइसर उप-स्टेशन के माध्यम से मुंबई क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बिजली ली जा सकती है। इसके लिए एम. एस. ई. बी. को उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

7. समिति की सिफारिशों के अनुसार और बी. एस. ई. एस. को टी. ई. सी. की बिजली आपूर्ति, एम. एस. ई. बी. से टी. ई. सी. की स्टैंडबाय आपूर्ति, उसके शुल्क और टी. ई. सी. और बी. एस. ई. एस. की वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बी. एस. ई. एस. को 500 करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहिए। स्टैंडबाय आपूर्ति के लिए हर महीने साढ़े तीन करोड़ रुपये। इस आधार पर, प्रति केवीए दर तय की जानी चाहिए और वाणिज्यिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त स्टैंडबाय शुल्क टी. ई. सी. और बी. एस. ई. एस. के मौजूदा बिजली आपूर्ति शुल्क पर पारित किए जाते हैं। भविष्य में शुल्क संशोधन के दौरान स्टैंडबाय शुल्कों की समीक्षा की जा सकती है।

9. चूंकि समझौते को अंतिम रूप दिया जाना था

आर. एन. एम. टी. के आदेश के अनुसार, सरकार के पास ए. टी. ओ. आर. और वितरकों को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था, टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. ने 30.1.1998 पर सिद्धांत ग्रीमेंट में प्रवेश किया था, खंड 2 से 9 यहाँ निकाले गए हैं:

" (2) बी. एस. ई. एस. बोरीवली में 220 के. वी. इंटरकनेक्शन के लिए टी. ई. सी. को रु. सरकारी आदेशों के अनुसार 275 एम. वी. ए. के लिए स्टैंडबाय शुल्क के रूप में प्रति माह 3.5 करोड़ रुपये। (3) 220 के. वी. बोरीवली इंटरकनेक्शन पर बी. एस. ई. एस. द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा का बिल रु. 2. 09 प्रति किलोवाट घंटा प्लस एफ. ए. सी. (जो वर्तमान में है)

रु. में। 0. 45) जैसा कि समय-समय पर आपूर्ति के अन्य बिंदुओं पर लागू होता है। यह औसत ऊर्जा प्रभार अनुमानित वार्षिक प्रवाह पर आधारित है। बोरीवली इंटरकनेक्शन के माध्यम से 25 करोड़ यूनिट ऊर्जा।

220 केवी बोरीवली की स्थापना की गई है। (6) बोइसर में एम. एस. ई. बी. और बी. एस. ई. एस. के बीच संपर्क खोला जाएगा।

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, v. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

स्टैंडबाय सेवा का प्रकार। (8) दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं कि

कि सरकार के दिनांकित 19-01-1998 आदेश हैं इसकी भावना में लागू किया गया।

(9) पारस्परिक रूप से सहमत एक विस्तृत बिजली आपूर्ति समझौता

उपरोक्त को शामिल करने के आधार को 21 अप्रैल तक निष्पादित किया जाएगा।

1998. "

(जोर दिया गया)

हालाँकि समझौते के उपरोक्त सिद्धांत दर्ज किए गए थे

दोनों पक्षों के बीच किसी न किसी कारण से कोई समझौता नहीं हुआ है।

10. 31.1.1998 दिनांकित समझौते के सिद्धांतों के तहत टी. पी. सी.

बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्टैंडबाय बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था। टी. पी. सी. एम. एस. ई. बी. से ले रहा था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी. एस. ई. एस. का समझौता टी. पी. सी. के साथ था, एमएसईबी के साथ नहीं। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के बीच समझौता टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. के बीच समझौते से स्वतंत्र था।

11. बी. एस. ई. एस./को 275 एम. वी. ए. की स्टैंडबाय सुविधा प्रदान करने के बाद भी

आर. ई. एल., टी. पी. सी. को अभी भी एम. एस. ई. बी. से 550 एम. वी. ए. की स्टैंडबाय सुविधा प्राप्त थी। एम. एस. ई. बी. से 550 एम. वी. ए. स्टैंडबाय सुविधा का लाभ उठाने की टी. पी. सी. की पात्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ।

12. बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा स्टैंडबाय सुविधा का लाभ उठाया गया है।

तब से टी. पी. सी. के माध्यम से इसने वास्तव में मई 2004 तक लगभग 119 अवसरों पर आकर्षित किया, जिनमें से 57 अवसर 275 एम. वी. ए. से अधिक थे। विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'ए. पी. टी. ई. एल.') द्वारा यह देखा गया है कि उपरोक्त घटनाओं में से 90 प्रतिशत में टी. पी. सी. ने अपने उत्पादन से स्टैंडबाय शक्तियों की आपूर्ति की है और कभी भी एम. एस. ई. बी. से बिजली वापस नहीं ली है। टी. पी. सी. ने वास्तव में बड़ी संख्या में और कई मौकों पर 275 एम. वी. ए. से अधिक के लिए एम. एस. ई. बी. से स्टैंडबाय लिया है। एम. एस. ई. बी. से टी. पी. सी. द्वारा तैयार स्टैंडबाय निम्नानुसार हैः

" 439 एम. वी. ए. सबसे अधिक 1998-1999 में 271 एम. वी. ए. सबसे अधिक 1999-2000 में

358 एम. वी. ए. 2000-2001 [2019] 6 एस. सी. आर. में सबसे अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

325 एम. वी. ए. सबसे अधिक 2002-2003 में

415 एम. वी. ए. सबसे अधिक 2002-2003 में

763 2004 में सबसे अधिक मेगावाट "

13. यह भी उल्लेख करना उचित है कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा अपने डहाणू उत्पादन केंद्र से बिजली लेना शुरू करने के बाद भी बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने इसे जारी रखा।

बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने रु. स्टैंडबाय के लिए शुल्क के रूप में टी. पी. सी. को प्रति माह 3.5 करोड़ रुपये। टी. पी. सी. ने आपत्ति जताई और स्टैंडबाय शुल्क के संशोधन की मांग की, जो रुपये में तय किया गया था। 3. 5 करोड़ प्रति माह, 8.7.1998 पर महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर। से प्रभावी 1.12.1998 , एम. एस. ई. बी. ने एम. एस. ई. बी. और टी. पी. सी. के बीच समझौते के तहत एक नोटिस जारी करके अपने शुल्क को संशोधित किया। स्टैंडबाय सुविधा के लिए शुल्क भी प्रति माह के. वी. ए. से बढ़ाकर के. वी. ए. प्रति माह कर दिया गया, जो प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये के बराबर है। 30.250 करोड़ प्रति माह। ये स्टैंडबाय शुल्क रुपये से बढ़ा दिए गए हैं। 24.75 करोड़ प्रति माह रु। 1.12.1998 से प्रभावी 30.25 करोड़ प्रति माह यानी Rs.297 करोड़ से सालाना Rs.363 करोड़ तक। टी. पी. सी. ने बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से वृद्धिशील स्टैंडबाय शुल्क के आनुपातिक हिस्से की आवश्यकता के बजाय रुपये की राशि को विभाजित करने के लिए कहा। 30.25 करोड़ के अनुपात में

50: 50 और रुपये की राशि की मांग की। 15.125 करोड़ प्रति माह अर्थात रु। 181.5 बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से प्रति वर्ष रु. द. टी. पी. सी. पहले से ही रु. 24.75 करोड़ प्रति माह अपने शुल्क के माध्यम से, जैसा कि कहा गया था, अपने ग्राहकों से शुल्क में शामिल किया गया था और रु। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से भी साढ़े तीन करोड़ रुपये बनाए जा रहे थे।

समझौते के सिद्धांत। इस प्रकार, रुपये की कुल वसूली। टी. पी. सी. द्वारा पहले से ही स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से प्रति माह 28.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

सितंबर 1998 तक ग्राहक। रुपये की राशि की मांग करके। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल., टी. पी. सी. से प्रति माह लगभग 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग करने का प्रयास किया जा रहा था। प्रो की मांग करने के बजाय स्टैंडबाय शुल्क की आड़ में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से प्रति माह 11.625 करोड़

2 करोड़ रुपये के वृद्धिशील स्टैंडबाय शुल्क की राशि।

14. टी. पी. सी. ने बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की अनुसूची VI के तहत महाराष्ट्र सरकार को दिनांक 30.9.1998 का नोटिस जारी किया।

इसके शुल्क और अन्य मामलों में संशोधन का प्रस्ताव। नोटिस में संकेत दिया गया था कि वह केवल एक लाख रुपये का भुगतान करेगा। 181.5 करोड़ प्रति वर्ष और शेष बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की देनदारी होनी चाहिए। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड पर भी इसका विरोध किया गया है।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

उसी तरह, टी. पी. सी. रुपये की राशि की वसूली कर रहा था। 24.75 करोड़ प्रति माह और रु। 3.5 करोड़ प्रति माह। बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। टाटा पावर कं. लिमिटेड, (2004) 1 एस. सी. सी. 195 ने टैरिफ नोटिस को अवैध माना है। चूंकि टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश के अनुसार, बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को 9 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जैसा कि बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम में देखा गया है। इस न्यायालय द्वारा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (ऊपर)। 15. विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (संक्षेप में '1998 का अधिनियम') लागू किया गया जिसने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में 'एम. ई. आर. सी.') को बिजली की आपूर्ति के शुल्क का निर्धारण करने और बाद में पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। इस विवाद को दोनों पक्षों द्वारा एम. ई. आर. सी. को भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 22.3.2000 के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा बीएसईएस लिमिटेड बनाम में पुष्टि की गई है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (ऊपर)।

16. एम. ई. आर. सी. ने बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को स्टैंडबाय शुल्क का 25 प्रतिशत वहन करने का निर्देश देते हुए 7.12.2001 पर एक आदेश पारित किया। यह आदेश था

उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने मामले को एम. ई. आर. सी. को वापस भेज दिया और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्टैंडबाय राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया। बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम नामक उपरोक्त निर्णय में यह मामला आगे इस न्यायालय तक गया था। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (ऊपर)। 17. मामला भेजे जाने के बाद, एम. ई. आर. सी. ने पक्षों को सुनने के बाद 31.5.2004 दिनांकित एक आदेश पारित किया और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को इसका वहन करने का निर्देश दिया।

टी. पी. सी. या एम. एस. ई. बी. द्वारा किए गए कुल स्टैंडबाय शुल्क का लगभग 23 प्रतिशत। यह देखते हुए कि टी. पी. सी. पहले ही रुपये की राशि बरामद कर चुकी है। इसके शुल्क के माध्यम से प्रति माह 24.75 करोड़ और रु। समझौते के सिद्धांतों के अनुसार, यह पाया गया कि स्टैंडबाय शुल्क का बड़ा हिस्सा पहले ही टी. पी. सी. द्वारा शुल्क और अन्य के माध्यम से वसूल किया जा चुका है। [2019] 6 एस. सी. आर. पर की गई मांग के विरुद्ध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31.5.2004 , दोनों पक्षों ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की। इसकी सुनवाई अध्यक्ष और तकनीकी सदस्य की एक पीठ ने की। उन्होंने अलग-अलग निर्णय दिए, दोनों ने 50 के अनुपात में स्टैंडबाय शुल्क का दावा करने वाली टी. पी. सी. की दलीलों को खारिज कर दियाः 50 . सभापति ने

राय दी कि स्टैंडबाय शुल्क को 2 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिएः 1 यानी टी. पी. सी. 2/3 का भुगतान करती है और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. 1/3 का भुगतान करती है, जबकि तकनीकी सदस्य बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को 23 प्रतिशत वहन करना चाहिए जबकि टी. पी. सी. को लगभग 77 प्रतिशत वहन करना चाहिए।

18. राय के विचलन को देखते हुए, मामले को न्यायिक सदस्य होने के नाते तीसरे सदस्य के पास भेजा गया था, जो इस बात से सहमत थे

तकनीकी सदस्य का निष्कर्ष कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को स्टैंडबाय शुल्क का 23 प्रतिशत वहन करना चाहिए। बहुमत के फैसले को देखते हुए, ए. पी. टी. ई. एल. ने न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के बहुमत के विचार को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि विचाराधीन अवधि के लिए स्टैंडबाय शुल्क का 23 प्रतिशत बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा वहन किया जाना चाहिए और शेष राशि टी. पी. सी. द्वारा वहन की जानी चाहिए और आगे बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार जमा की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का निर्देश दिया। अपील में एम. ई. आर. सी. ने

यह स्वीकार किया कि टी. पी. सी. ने रु. बिजली शुल्क के माध्यम से अपने ग्राहकों से 24.75 करोड़ और रु। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से स्टैंडबाय शुल्क के रूप में प्रति माह साढ़े तीन करोड़ रुपये नहीं लिए गए।

बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा देय 23 प्रतिशत की सीमा तक स्टैंडबाय शुल्क की गणना में उक्त राशि के लिए श्रेय दें। उपरोक्त के संबंध में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की अपील को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा निर्णय और दिनांक 20.4.2007 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। टी. पी. सी. ने इस न्यायालय के समक्ष 2007 की सिविल अपील No.415 दायर की। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने ए. पी. टी. ई. एल. के 20.4.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित 2007 की सिविल अपील No.3229 भी दायर की है।

19. टी. पी. सी. की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन ने तर्क दिया है कि टी. पी. सी. ने स्टैंडबाय आरोपों की वसूली नहीं की है।

एमएसईबी द्वारा अप्रैल 1999 से मार्च 2004 की अवधि के लिए प्रदान की गई 550 एमवीए स्टैंडबाय सुविधा में से 275 एमवीए से अधिक की सुविधा के लिए इसके ग्राहक। इसके बाद टैरिफ ऑर्डर दिनांक 11.6.2004 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार, टी. पी. सी. ने अपने ग्राहकों से स्टैंडबाय शुल्क के 78 प्रतिशत की सीमा तक वसूली की है। इस न्यायालय ने 7.2.2007 पर अंतरिम रोक लगा दी है और अपीलार्थी को Rs.227 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और इसके अलावा, इस न्यायालय के महापंजीयक के पास Rs.227 करोड़ की राशि जमा करने की आवश्यकता है, जिसे प्रत्यर्थी सं. 1 वे इस

न्यायालय को यह वचन देते हुए कि उनके खिलाफ इस अपील पर निर्णय होने की स्थिति में, वह राशि जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को मिल सकती है।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

स्टैंडबाय सुविधा स्वतंत्र है। यदि जनरेटर किसी कारण से अपने ग्राहकों से वसूली करने में सक्षम नहीं है, तो वह एमएसईबी को स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. का दायित्व 50 में स्टैंडबाय शुल्क के लिए भुगतानः 50 अनुपात निरपेक्ष है और इसे वसूली के साधनों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप खेल के मैदान की परेशान करने वाली और विकृत करने वाली स्थिति पैदा होगी जो संविधान के अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और प्रतिस्पर्धा को भी विकृत करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी आग्रह किया जाता है कि यह 1998 के अधिनियम के उद्देश्यों, विशेष रूप से धारा 29 (3) के अधिदेश के विपरीत चलेगा, जिसे यहां निकाला गया हैः

" 29. राज्य आयोग द्वारा शुल्क का निर्धारण।

(3) राज्य आयोग, इस अधिनियम के तहत शुल्क का निर्धारण करते समय, किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दिखाएगा। बिजली, लेकिन उपभोक्ता के भार कारक, बिजली कारक, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता होती है या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और

जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता है।

20. यह भी आग्रह किया गया कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा एम. ई. आर. सी. के समक्ष बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा देय स्टैंडबाय शुल्क तय करने की प्रार्थना की गई थी।

(शिकायतकर्ता) टी. पी. सी. (उत्तरदाताओं) को। इसकी देनदारी एक करोड़ रुपये से अधिक होगी। 3.5 करोड़ प्रति माह। टीपीसी एमएसईबी को स्टैंडबाय शुल्क के रूप में Rs.363 करोड़ का भुगतान कर रहा है। समानता और आनुपातिकता के सिद्धांतों पर, बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को 275 एम. वी. ए. के लिए भुगतान करना चाहिए क्योंकि 275 एम. वी. ए. स्टैंडबाय की मात्रा एम. एस. ई. बी. द्वारा दी गई 550 एम. वी. ए. स्टैंडबाय सुविधा के उसी ब्लॉक में से है। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को 50 के अनुपात में हिस्सेदारी करनी चाहिएः 50 . ए. पी. टी. ई. एल. ने बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं किया है।

टी. डी. (ऊपर)। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा है कि

:

" 16. अधिनियम में "शुल्क" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। शुल्क "है

वाणिज्य का एक गुट और आम तौर पर यह दरों की एक पुस्तक है। यह होगा।

मानकों को प्रदान की गई मानक कीमतों या शुल्कों की एक अनुसूची से मतलब है

शुल्क में निर्दिष्ट ग्राहकों की श्रेणी या श्रेणियाँ। उप.

धारा 22 की धारा (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य

वितरण की बिजली खरीद को विनियमित करने की शक्ति भी है बिजली की खरीद की जाने वाली कीमत सहित उपयोगिताएँ

पारेषण, बिक्री, वितरण के लिए उत्पादक कंपनियों से, और राज्य में आपूर्ति "। उपयोगिता को धारा 2 (1) में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम और इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति या संस्था में लगे हुए उत्पादन, संचरण, बिक्री, वितरण या आपूर्ति, जैसा भी मामला हो

हो सकता है, ऊर्जा का। धारा 29 में कहा गया है कि शुल्क

अधिनियम के प्रावधानों और शुल्क का निर्धारण इसके द्वारा किया जाएगा राज्य आयोग। धारा 29 की उप-धारा (2) से पता चलता है कि

शुल्क निर्धारित करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी। विनियमों द्वारा और ऐसा करते समय आयोग का मार्गदर्शन किया जाएगा।

खंड (क) से खंड (छ) में उल्लिखित कारकों द्वारा। द.

पहले उल्लिखित विनियमों से पता चलता है कि उत्पादन करने वाली कंपनियाँ और उपयोगिताओं को पहले अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क करना होगा

उनके शुल्क का उत्पादन, पारेषण, वितरण या

आपूर्ति और आपूर्ति के नियमों और शर्तों के लिए भी। वे शुल्क ले सकते हैं।

आयोग द्वारा अनुमोदित अपराध दंडनीय है। अधिनियम की धारा 45 के तहत। अधिनियम के प्रावधान और

विनियमों से पता चलता है कि आयोग के पास अनन्य शक्ति है

शुल्क निर्धारित करने के लिए। आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क है

अंतिम और बाध्यकारी और यह लाइसेंसधारी, उपयोगिता या के लिए अनुमेय नहीं है किसी और से अलग शुल्क लेने के लिए।

***

***

***

" 18. बिजली कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे संग्रहीत या रखा जा सके।

आरक्षित करें। इसे लगातार उत्पन्न किया जाना चाहिए और यह लगातार ए. टी. ए. पावर कंपनी लिमिटेड है।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

उत्पादित बिजली जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। बिजली के किसी भी जनरेटर को अपनी उत्पादन मशीनरी के रुकने की स्थिति में वापस आने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। टी. पी. सी. द्वारा 550 एम. वी. ए. के लिए तैयार व्यवस्था इस उद्देश्य के लिए की गई थी कि यदि किसी भी कारण से इसका उत्पादन कम हो जाता है, तो यह तुरंत उपरोक्त राशि प्राप्त करने में सक्षम होगा।

एम. एस. ई. बी. से बिजली की मात्रा। इसी तरह, बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. के साथ की गई व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि पहले वाले को तत्काल

इसकी डहाणू उत्पादन सुविधा में किसी भी प्रकार के टूटने या उत्पादन रुकने की स्थिति में 275 एम. वी. ए. बिजली की उपलब्धता। बिजली उत्पादन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इस तरह की गारंटी और बिजली की उपलब्धता के लिए टी. पी. सी. को एम. एस. ई. बी. को शुल्क देना पड़ता था। यह भुगतान उस शुल्क या मूल्य के अतिरिक्त था जो टी. पी. सी. को विद्युत ऊर्जा के वास्तविक आहरण के लिए एम. एस. ई. बी. को देना पड़ता था। बी. एस. ई. एस. क्वा टी. पी. सी. के साथ भी यही स्थिति है। इस तरह की व्यवस्था के लिए भुगतान किए गए शुल्क, जिसमें टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. को उनकी इच्छा पर एक निश्चित मात्रा में विद्युत ऊर्जा की गारंटी दी गई थी, उस कीमत का एक हिस्सा बनने के लिए बाध्य है जो वे (बी. एस. ई. एस. और टी. पी. सी.) अपने उपभोक्ताओं से वास्तव में विद्युत ऊर्जा की लागत के लिए लेंगे।

उनके द्वारा खाया गया। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के पक्ष में की गई इस तरह की स्टैंडबाय व्यवस्था के लिए देय राशि का निर्धारण या परिमाण वास्तव में इसका अर्थ होगा।

बिजली की थोक या थोक आपूर्ति के लिए मूल्य या शुल्क का निर्धारण। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति के भीतर आएगा। " धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उपयोग किए गए बिजली, थोक, थोक, ग्रिड या खुदरा के लिए शुल्क का निर्धारण करना और "बिजली खरीद को विनियमित करना" अभिव्यक्ति में भी, उस मूल्य सहित जिस पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से खरीदी जाएगी जैसा कि धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (सी) में उपयोग किया गया है। इसलिए, बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण या परिमाणीकरण अधिनियम की धारा 22 के तहत राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह कानूनी स्थिति अधिनियम की धारा 29 द्वारा भी परिलक्षित होती है जो एक प्रबल शक्ति प्रदान करती है और स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि किसी भी चीज के बावजूद

बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क किसी अन्य कानून में निहित है।

थोक, थोक या खुदरा-अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से शुल्क निर्धारित करने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अधिनियम [2019] 6 एस. सी. आर. को लागू हुआ था।

25-4-1998 और महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग का गठन 5-8-1999 पर किया गया था। इसलिए, श्री नरीमन के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि राज्य सरकार के पास उन शुल्कों को निर्धारित करने या उनकी मात्रा निर्धारित करने का अधिकार या अधिकार क्षेत्र था जो बी. एस. ई. एस. को टी. पी. सी. को दिए गए लाइसेंस की शर्तों के तहत देना था क्योंकि यह महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के गठन के बाद था।

19. श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया है कि टी. पी. सी. ने एक नोटिस दिया है

30-9-1998 बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची (पैरा I, तीसरा परंतुक) के तहत बी. एस. ई. एस. को प्रदान की जाने वाली स्टैंडबाय सुविधा के शुल्क को 3 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति माह करने के उनके इरादे के कारण, बढ़े हुए शुल्क प्रभावी हो गए और 60 दिनों के नोटिस की समाप्ति के बाद यानी 2 करोड़ रुपये से प्रभावी हो गए। निवेदन यह है कि कानून के संचालन द्वारा स्टैंडबाय सुविधा के लिए शुल्क को संशोधित किया गया और 1-12-1998 से प्रभावी किया गया। हमारी राय में, उठाए गए विवाद का कोई सार नहीं है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रवर्तन के साथ कानूनी स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आया है। अधिनियम की धारा 29 को ध्यान में रखते हुए, बिजली के अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क और थोक, थोक या खुदरा में बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित किया जाना है

राज्य का आयोग और एक लाइसेंसधारी अपनी एकतरफा कार्रवाई से शुल्क नहीं बढ़ा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों में एक

अधिनियम की धारा 52 के आधार पर और इसलिए, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के कोई भी प्रावधान, जो अधिनियम के साथ असंगत हैं, लागू नहीं होंगे और परिणामस्वरूप,

उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची के प्रावधान अब लागू नहीं हो सकते हैं। छठी अनुसूची बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57 और 57-ए के आधार पर बनाई गई है और धारा 57-ए बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी के शुल्क की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मूल्यांकन समिति के गठन पर विचार करती है। अधिनियम की धारा 29 (6) में विशेष रूप से कहा गया है कि बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57-ए और 57-बी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई रेटिंग नहीं है।

अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के बाद समिति का गठन किया जाएगा। धारा 29 और उसके तहत बनाए गए विनियमों का प्रभाव यह है कि यह अब किसी लाइसेंसधारी या उपयोगिता के लिए एकतरफा रूप से शुल्क बढ़ाने के लिए खुला नहीं है। शुल्क केवल ए. टी. ए. पावर कंपनी लिमिटेड बढ़ाया जा सकता है।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

आयोग की मंजूरी के बाद और आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए बढ़े हुए शुल्क का प्रभार लेना अपराध के बराबर होगा। इसलिए, टी. पी. सी. द्वारा दिए गए शुल्क को बढ़ाने का नोटिस, जो इसके बाद था

अधिनियम के प्रवर्तन का कोई कानूनी प्रभाव नहीं हो सकता है।

20. श्री नरीमन ने यह भी प्रस्तुत किया है कि यह मानते हुए भी कि स्टैंडबाय शुल्क शुल्क से संबंधित एक मामला है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को दिया जाता है, लेकिन टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के बीच स्टैंडबाय शुल्क साझा करना शुल्क के निर्धारण से संबंधित मामला नहीं है और इसलिए, आयोग के पास अधिनियम की धारा 22 के तहत इस तरह की कवायद करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। प्रस्तुतिकरण इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि विवाद स्टैंडबाय शुल्कों को साझा करने से संबंधित है। वास्तव में, बी. एस. ई. एस. का पूरा मामला यह है कि वे उन शुल्कों को साझा करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो टी. पी. सी. द्वारा उन्हें स्टैंडबाय प्रदान करने के लिए एम. एस. ई. बी. को दिए जा रहे हैं। सुविधा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्ष 1985 में टी. पी. सी. को 300 एम. वी. ए. की स्टैंडबाय सुविधा प्रदान की गई थी जो धीरे-धीरे वर्ष 1990 में बढ़कर 550 एम. वी. ए. हो गई। बी. एस. ई. एस. के लाइसेंस में 1992 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत पहली बार यह प्रावधान किया गया था कि उन्हें टी. पी. सी. की प्रणाली के साथ आपस में जोड़ना चाहिए और अंततः, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 19-1-1998 पर पारित आदेश के अनुसरण में उनकी प्रणालियों को 14-2-1998 पर आपस में जोड़ा गया था। इसलिए, बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को स्टैंडबाय शुल्क के भुगतान का सवाल पहली बार 1998 में उठा है, जो टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. को स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान शुरू करने के लगभग 13 साल बाद है। वास्तव में, विवाद यह है कि बी. एस. ई. एस. द्वारा टी. पी. सी. को उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्टैंडबाय सुविधा के लिए क्या भुगतान किया जाना चाहिए। सख्त और संकीर्ण

विद्वान वकील द्वारा व्याख्या रखने की मांग की गई ताकि

आयोग के अधिकार क्षेत्र को हटाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विद्युत नियामक आयोग अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

***

***

***

26. आम तौर पर मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने और व्यापक सिद्धांतों के बिना एक अंतरिम व्यवस्था की जाती है।

मामले की गहराई से जांच करें। मामले को भेजा गया है

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा आयोग और लगभग साढ़े तीन महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी है। केंद्रीय विद्युत (2019) 6 एस. सी. आर. का विनियम 101।

विनियामक आयोग का प्रावधान है कि आयोग आम तौर पर छह महीने के भीतर याचिकाओं का निपटान करें।

प्रवेश। राज्य आयोगों से भी इसका पालन करने की उम्मीद है

याचिकाओं के निपटारे के लिए यह समय सीमा। जब से आदेश दिया गया है

उच्च न्यायालय केवल अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से है और आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह अंत में विवादों का फैसला करेगा।

इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। निर्णय लेने के बाद आयोग, इक्विटी को समायोजित किया जा सकता है और अतिरिक्त

किसी भी पक्ष द्वारा भुगतान की गई राशि को इसके साथ वापस किया जा सकता है

उचित ब्याज या भविष्य के बिलों में समायोजित किया जा सकता है। ”

(जोर दिया गया)

21. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी आग्रह किया है कि वास्तविक आपूर्ति

धन और वास्तविक आपूर्ति के लिए भुगतान किए गए शुल्क पूरी तरह से अलग हैं-ऐसी गारंटी/सीमेंट प्रदान करने के लिए देय गारंटी और शुल्क। यह आगे आग्रह किया जाता है कि उत्पादन क्षमता एक पर आती है

तकनीकी सदस्य इसलिए गलत तरीके से शून्य लागत निर्धारित करता है

क्षमता बढ़ाना। यह आक्षेपित क्रम में स्पष्ट त्रुटि है।

ई कताई भंडार को शून्य लागत माना गया है।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बिनानी में निर्णय पर भरोसा किया है

लिमिटेड वी. केरल राज्य विद्युत बोर्ड, (2009) 11 एस. सी. सी. 244 से

और वह सूचना दिनांकित 30.9.1998 कानूनी और वैध थी। प्रासंगिक

उपरोक्त निर्णय के बारे में नीचे बताया गया हैः

" 28. इस प्रकार, यह कहना एक बात होगी कि आने पर

1998 के अधिनियम की शक्ति 1948 के अधिनियम में निहित प्रावधान

बोर्ड का गठन किया जाता है, बोर्ड के पास इसे बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा एक शुल्क।

***

***

***

33. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग के संदर्भ में 1998 की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी)

धाराओं के तहत दिए गए सिद्धांतों का पालन करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता होती है। 46 , 56 और 1948 के अधिनियम की 57-ए और साथ ही छठी अनुसूची

इसमें जोड़ा गया है। अतः 1998 का अधिनियम मान्यता देता है कि -

1948 के अधिनियम में भी निहित सिद्धांत।

***

***

*** टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

41. हालाँकि, हमें यह पता लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड के पास शुल्क को संशोधित करने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र था जब तक कि आयोग का गठन नहीं किया गया था और इसके उद्देश्य

1998 के अधिनियम को इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उस समय तक

केरल राज्य द्वारा नियामक आयोग का गठन नहीं किया गया था, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत शुल्क निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड के पास बनी रही क्योंकि इसे बिजली नियामक आयोग अधिनियम, 1998 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। संसद कर सकती है ई. आर. सी. अधिनियम, 1998 के लागू होने की तारीख और आयोग के गठन के बीच किसी भी प्राधिकरण को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा। नियामक आयोग के गठन के बाद ही शुल्क निर्धारित करने का एकमात्र प्राधिकरण होगा।

20017 की सिविल अपील संख्या 3229 में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है जो सीमा द्वारा वर्जित है।

23. श्री जे. जे. भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए

बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने तर्क दिया है कि टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. ने 12.3.1985 पर एक व्यवस्था की है। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच एक स्वतंत्र समझौता 31.1.1998 पर किया गया था और इसका टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. के बीच समझौते से कोई संबंध नहीं है।

इस तथ्य के बावजूद कि एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. को स्टैंडबाय बिजली की आपूर्ति की या नहीं, टी. पी. सी. अपनी उत्पादन स्टैंडबाय बिजली से बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था। लगभग 90 प्रतिशत अवसरों पर, बीएसईएस / आर. ई. एल. ने टी. पी. सी. की स्टैंडबाय शक्ति का उपयोग किया है। यह कुछ मौकों पर 275 एम. वी. ए. से अधिक हो गया है और 400 एम. वी. ए. से ऊपर चला गया है, जबकि टी. पी. सी. ने एम. एस. ई. बी. से स्टैंडबाय लिया है। सरकार ने कई कारकों पर विचार करते हुए 19.1.1998 पर एक आदेश पारित किया और रु। 3. 5 करोड़ प्रति माह स्टैंडबाय शुल्क के रूप में। बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. को स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान टी. पी. सी. द्वारा एम. ई. एस. बी. को दिए जाने वाले शुल्क से स्वतंत्र था। यह निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया गया है। 50 का आधारः 50 साझा करने को एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। कताई आरक्षित का निर्णय

शून्य स्तर पर तकनीकी और न्यायिक सदस्य मामले के तथ्यों में उचित हैं। बिनानी जिंक लिमिटेड बनाम के आधार पर प्रस्तुत किया गया। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त) मान्य नहीं है। टी. पी. सी. की कुल उत्पादन क्षमता 1777 मेगावाट थी, जबकि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की 500 मेगावाट है। यह गलत है कि टी. पी. सी. ने केवल 50 प्रतिशत की वसूली की है।

एम. एस. ई. बी. को देय स्टैंडबाय शुल्क। रुपये का स्टैंडबाय शुल्क। 24.75 [2019] 6 एससीआर

प्रति माह करोड़ रुपये यानी प्रति वर्ष Rs.297 करोड़ रुपये की राशि को टी. पी. सी. शुल्क में शामिल किया गया। 3. 5 करोड़ प्रति माह का भुगतान किया गया था बीएसईएस/आरईएल। यह 50 का दावा करके बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. से 75 प्रतिशत शुल्क वसूल करना चाहता थाः 50 अनुपात साझाकरण। टी. पी. सी. के पास अपनी कुल क्षमता 1777 मेगावाट के संबंध में 317 एम. वी. ए. का कताई आरक्षित अधिशेष है। यह एम. एस. ई. बी. नहीं बल्कि टी. पी. सी. था जिसने 90 प्रतिशत अवसरों पर बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को स्टैंडबाय समर्थन प्रदान किया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा दायर अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और अतिरिक्त राशि को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा तैयार किया गया है। इसे उचित रूप से कम किया जा सकता है।

24. विवाद की अवधि 1.4.1999 से 30.9.2004 है। यह स्पष्ट है

टी. पी. सी. ने 550 एम. वी. ए. की स्टैंडबाय आपूर्ति के लिए एम. एस. ई. बी. के साथ एक समझौता किया है। शुरुआत में, 1985 में, टी. पी. सी. ने अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है जिससे एम. एस. ई. बी. से बिजली का उपयोग शून्य हो गया है। बिजली की खरीद बंद होने के परिणामस्वरूप हुए राजस्व के नुकसान के लिए एमएसईबी को क्षतिपूर्ति करने के लिए, एमएसईबी ने टीपीसी के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत टीपीसी को हर साल 50 एमवीए की वृद्धि के लिए 300 एमवीए स्टैंडबाय के लिए एमएसईबी को भुगतान करने की आवश्यकता थी। वर्ष 1990 में स्टैंडबाय को रोक दिया गया था जब पार्टियां स्टैंडबाय को 550 एम. वी. ए. से आगे नहीं बढ़ाने पर सहमत हुईं। 25. टी. पी. सी. के 1777 मेगावाट उत्पादन में बिजली की विफलता की स्थिति में टी. पी. सी. को स्टैंडबाय सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बी. एस. एस. /

आर. ई. एल. 1998 से 2006 तक टी. पी. सी. से 29 प्रतिशत से 37 प्रतिशत के बीच बिजली खरीदती थी। उपरोक्त खरीद के लिए स्टैंडबाय शुल्क को इसके खुदरा ग्राहकों से लिए गए शुल्क में शामिल किया गया था। आपूर्ति की सीमा तक स्टैंडबाय शुल्क बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा वहन किया गया था।

टी. पी. सी. से इष्टतम आपूर्ति जब सरकारी आदेश के अनुसार बोरीवली पॉइंट पर इंटरकनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या बिजली आपूर्ति बाधित होने और विफल होने की स्थिति में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को टी. पी. सी. से 275 एम. वी. ए. निकालने का अधिकार है। जिन शुल्कों का भुगतान करने की आवश्यकता थी, वे उन शुल्कों से अधिक थे जो वास्तव में ली गई ऊर्जा के लिए भुगतान किए जाएंगे। संबंधित समय में, टी. पी. सी. रुपये की राशि का भुगतान कर रहा था। 24.75 करोड़ प्रति माह यानी Rs.297 करोड़ प्रति वर्ष एम. एस. ई. बी. को स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से जो शुल्क में बनाया गया था। उक्त राशि टी. पी. सी. द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की गई थी जिन्होंने बदले में इसे अपने खुदरा उपभोक्ताओं से वसूल किया।

26. महाराष्ट्र सरकार ने बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. को भुगतान किए जाने वाले स्टैंडबाय शुल्क की मात्रा के मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को एक आदेश पारित किया।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

दिनांक 19.1.1998 जिसके तहत रु. बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा स्टैंडबाय शुल्क के माध्यम से टी. पी. सी. को प्रति माह साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. द्वारा उत्पादन पर विचार करते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था। आदेश छह कारकों पर आधारित था-उत्पादन। टी. पी. सी. और एम. एस. ई. बी. की; एक उपभोक्ता के रूप में बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को टी. पी. सी. द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली; एम. एस. ई. बी. से टी. पी. सी. की स्टैंडबाय आपूर्ति; उक्त शुल्क के लिए भुगतान किया गया

टी. पी. सी. द्वारा एम. एस. ई. बी. को उप-स्टैंडबाय आपूर्ति; टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की वित्तीय स्थिति; और बेहतर मुंबई ग्रिड की स्थिरता।

न्यायालय, जिसके आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था और मामले को निर्णय के लिए एम. ई. आर. सी. को भेज दिया गया था, जो एक विशेषज्ञ निकाय है। विद्युत नियामक की धारा 22 (2) (एन) के प्रावधान के तहत एम. ई. आर. सी. को दिनांक 27.10.2000 की अधिसूचना के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई थी। आयोग अधिनियम, 1998, लाइसेंसधारियों और उपयोगिताओं के बीच विवादों और मतभेदों पर निर्णय लेने के लिए। 4.12.2000 पर, बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. ने बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. और टी. पी. सी. के बीच स्टैंडबाय शुल्क साझा करने के संबंध में एम. ई. आर. सी. को एक आवेदन दायर किया था। प्रार्थना उनके द्वारा लगाए गए कार्रवाई और स्टैंडबाय शुल्क को विनियमित करने और उनके द्वारा देय स्टैंडबाय शुल्क को तय करने और निर्धारित करने के लिए की गई थी।

28. अंततः, ए. पी. टी. ई. एल. ने विवादित आदेशों द्वारा मामले का फैसला किया है। सभापति ने अभिनिर्धारित किया है कि दायित्व 2 के अनुपात में होगाः 1 शुल्क, जबकि न्यायिक सदस्य ने तकनीकी से सहमति व्यक्त की है

सदस्य जब तकनीकी सदस्य अध्यक्ष की राय से असहमत थे, लेकिन तथ्य यह है कि एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ ए. पी. टी. ई. एल. टी. पी. सी. के मामले को स्वीकार नहीं किया है कि स्टैंडबाय शुल्क 50 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिएः 50 . एम. ई. आर. सी. के साथ-साथ तकनीकी और न्यायिक सदस्यों के निर्णय सही पाए गए हैं जबकि अनुपात को 23 बताया गया हैः 77 क्रमशः बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. और टी. पी. सी. के संबंध में।

29. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से, कई कारकों को [2019] 6 एस. सी. आर. में लेने की आवश्यकता थी।

विचार करते हुए, उस आधार पर उपरोक्त आंकड़ा तैयार किया गया है। यह भी माना गया है कि बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा उपरोक्त सीमा तक टी. पी. सी. से बिजली खरीदी जाती थी और स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान किया जाता था जो शुल्क में शामिल थे, जो अंततः देनदारी थी।

खुदरा उपभोक्ताओं को दिया गया। यहां तक कि जब स्टैंडबाय शुल्क के बारे में समझौते के सिद्धांतों पर पहुंचा गया है, हालांकि यह संशोधन आधार के अधीन था, जिसे अलग नहीं किया जा सकता था, यह कई पहलुओं पर विचार करने पर था। समान अवसर लागू करके अनुपात को उचित रूप से सबसे न्यायसंगत तरीके से तैयार किया गया था। रुपये के स्टैंडबाय शुल्क को ध्यान में रखते हुए। एम. एस. ई. बी. द्वारा टी. पी. सी. से 24.75 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो 1.10.1996 से प्रभावी है और सरकारी आदेश और समझौते के सिद्धांतों के अनुसार रु. 3. 5 करोड़ था

अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होने और स्टैंडबाय का अंतर जो देयता को बढ़ाने के लिए किया गया था रु। 24.75 करोड़ प्रति माह रु। 30.25 करोड़ प्रति

महीना। इस प्रकार, बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए टी. पी. सी. को भुगतान किए जाने वाले स्टैंडबाय शुल्क के प्रतिशत का निर्धारण करते समय तकनीकी और न्यायिक सदस्यों का निर्णय उचित और उचित पाया जाता है।

30. बी. एस. ई. एस. लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) ने माना कि 30.9.1998 दिनांकित टैरिफ नोटिस अवैध है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए शुल्क का भुगतान किया गया था, जिसके द्वारा टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को उनकी इच्छा पर एक निश्चित मात्रा में विद्युत ऊर्जा की गारंटी दी गई थी, यह उस मूल्य का एक घटक है जो वे (बी. एस. ई. एस. और टी. पी. सी.) अपने उपभोक्ताओं से वास्तव में उनके द्वारा खपत की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की लागत के लिए लेंगे। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था या

बी. एस. ई. एस. को पूर्व को दिए गए लाइसेंस की शर्तों के तहत टी. पी. सी. को भुगतान करने वाले शुल्कों को निर्धारित करने या उनकी मात्रा निर्धारित करने के लिए 22.3.2000 पर अधिकार क्षेत्र। यह भी देखा गया कि आयोग विवाद का जल्द फैसला करेगा। इस न्यायालय द्वारा 9.1.2004 पर एक स्पष्टीकरण आदेश पारित किया गया था।

बिनानी जिंक लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय पर विचार करना। टी. पी. सी. द्वारा समीक्षा के लिए याचिका दायर की गई थी। बिनानी जिंक लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय के आधार पर, इसे खारिज कर दिया गया था। एम. ई. आर. सी. ने 31.5.2004 पर आदेश पारित किया है, एम. ई. आर. सी. द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थींः

" 94. इस संदर्भ में, आयोग का यह भी विचार है कि चूंकि स्टैंडबाय सुविधा मुंबई प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है और इस प्रकार मुंबई क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को लाभान्वित करती है, इसलिए उन्हें आयोग द्वारा तैयार किए गए तंत्र के माध्यम से स्टैंडबाय की लागत में योगदान करना होगा।

टी. पी. सी. ए. टी. ए. पावर कंपनी लिमिटेड रही है। वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

स्टैंडबाय की लागत की वसूली जो जनवरी 1998 में लागू थी, अर्थात रु। 24.75 करोड़ प्रति माह, अपने उपभोक्ताओं से अपने शुल्क के माध्यम से, अर्थात। निश्चित प्रभार और ऊर्जा प्रभार। इस पहलू पर बाद में इस आदेश में विस्तार से चर्चा की गई है। अब, द्वारा निर्धारित स्टैंडबाय लागत के साझाकरण के अनुपात के आधार पर कमीशन, टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के उपभोक्ताओं को आयोग द्वारा तय किए गए तरीके से अपने संबंधित लाइसेंसधारियों के लिए लागू लागत का भुगतान करना होगा।

*

**

***

***

225. हालाँकि, आयोग का विचार है कि क्या अनुपात पूरे स्टैंडबाय घटक पर लागू होना चाहिए या केवल रुपये से ऊपर के वृद्धिशील हिस्से पर लागू होना चाहिए। 24.75 टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. द्वारा स्टैंडबाय शुल्क साझा करने के मामले में आयोग के आदेश पर दायर अपील पर उच्च न्यायालय के फैसले सहित कई न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित शुल्क और उपभोक्ताओं से उसी की वसूली शुल्क का मामला है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

***

**

*

***

237. आयोग के समक्ष अलग मामले में टी. पी. सी. की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए. आर. आर.) का निर्धारण करते समय, संबंधित पक्षों को या उनके द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतानों और ब्याज और विलंबित भुगतान शुल्कों पर विचार करना, और

स्टैंडबाय शुल्क साझा करने के मुद्दे पर आयोग के निर्णय के अनुरूप, सही तस्वीर को दर्शाने के लिए बी. एस. ई. एस. और टी. पी. सी. के स्पष्ट लाभ को दोहराना। यह वित्त वर्ष 1998-99 से किया जा रहा है, क्योंकि उस वर्ष के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था। आयोग ने तैयार किया है उपलब्ध भंडारों और अधिशेषों से, जहां भी आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. को अनुसूची VI के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उनका उचित उचित रिटर्न मिले।

यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्पष्ट लाभ साल-दर-साल आधार पर उचित रिटर्न से मेल खाता है, पार्टियों से किसी भी राशि की अतिरिक्त वसूली की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोगिताएँ

आयोग के निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए अपने भंडार से धन निकालना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा विस्तार से बताया जाएगा।

***

***

**

*

239. उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैरा 26 में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "आयोग के निर्णय के बाद, शेयरों को समायोजित किया जा सकता है [2019] 6 एस. सी. आर.

आयोग का मानना है कि यह दृष्टिकोण सभी संबंधित पक्षों के लिए न्यायसंगत है, और मुद्दों के आलोक में उपयुक्त है और इस मामले की परिस्थितियाँ जो इतने लंबे समय से विवाद में है। इसलिए, आयोग ने वित्त वर्ष 1998-99 और वित्त वर्ष 1999-00 में विलंबित भुगतान के लिए टी. पी. सी. को बी. एस. ई. एस. द्वारा देय ब्याज और एम. एस. ई. बी. को आगे के भुगतान के लिए टी. पी. सी. के साथ बी. एस. ई. एस. द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि पर टी. पी. सी. द्वारा बी. एस. ई. एस. को देय ब्याज की गणना की है। आयोग ने विचार किया है कि

तथ्य यह है कि एमएसईबी को विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 6 महीने से अधिक की अतिदेय राशि के लिए 18 प्रतिशत है। हालाँकि, इस उदाहरण में, टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस. के बीच भुगतान देनदारियों को केवल स्पष्ट किया गया है।

अब आयोग के इस आदेश के माध्यम से। इसके अलावा, बी. एस. ई. एस. द्वारा पहले की गई जमा राशि अदालती आदेशों के परिणामस्वरूप थी और नियमित भुगतान नहीं थे। इसलिए, इन वर्षों में से प्रत्येक में प्रचलित बाजार ब्याज दरों (एस. बी. आई. पी. एल. आर.) को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध (बी. एस. ई. एस. द्वारा देय सरल) ब्याज रु. 8. 37 करोड़, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है, जिसे टी. पी. सी. से बी. एस. ई. एस. के कारण धनवापसी के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

31. एम. ई. आर. सी. ने देय स्टैंडबाय शुल्कों को साझा करने का निर्देश दिया

टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. के बीच उनकी संबंधित अधिकतम भार आवश्यकताओं के आधार पर एम. एस. ई. बी. ने टी. पी. सी. को बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. को 500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 15 दिनों के भीतर 315.30 करोड़। यह भी देखा गया कि स्टैंडबाय क्षमता की मात्रा किसी भी प्रणाली में उत्पादन के बड़े इकाई आकार से संबंधित है। हमें बहुमत की राय को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि टी. पी. सी. द्वारा प्रदान की गई स्टैंडबाय सुविधा अपनी उत्पादन क्षमता से बाहर थी और 90 प्रतिशत ऊर्जा बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा टी. पी. सी. से ली गई है। इस प्रकार, टी. पी. सी. के लिए 50 का दावा करने का कोई औचित्य नहीं हैः 50 विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए इस मामले के तथ्यों में स्टैंडबाय शुल्क का प्रतिशत साझा करने का निर्णय लिया गया है।

32. ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश पर कोई रोक नहीं थी। आदेश को लागू न करने की याचिका

टी. पी. सी. द्वारा लिया गया समझ में नहीं आता है। यह केवल बैंक गारंटी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड थी।

वी. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

जो टी. पी. सी. द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके अलावा, इस न्यायालय के महापंजीयक के पास Rs.227 करोड़ की राशि जमा करने के लिए। ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश के कार्यान्वयन का अर्थ यह होगा कि उसके द्वारा किए गए निर्धारण पर कार्रवाई की गई है और शुल्क में शामिल संबंधित दायित्व ग्राहकों और वास्तविक उपभोक्ताओं पर पारित किया गया है और उनसे प्राप्त किया गया है क्योंकि आदेश के कार्यान्वयन पर ऐसी कोई अंतरिम रोक नहीं थी। हम बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. की ओर से उठाए गए निवेदन में बल पाते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. का आदेश पहले ही तैयार किया जा चुका है, अन्यथा यह न्यायसंगत और न्यायसंगत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। 33. संविधान के अनुच्छेद 14 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, समझौते के सिद्धांतों में जो सहमति हुई थी, उससे अधिक राशि का भुगतान व्यवसाय संतुलन के सिद्धांतों और अन्य कारकों के आधार पर करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

रिलायंस एनर्जी लिमिटेड का नाम पक्षों के विद्वान वकील के समझौते के साथ, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड का नाम क्रमशः प्रतिवादी के रूप में और सी. ए. सं. 415/2007 और सी. ए. No.3229/2007 में अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। 35. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि टी. पी. सी. और बी. एस. ई. एस./आर. ई. एल. द्वारा दायर किसी भी अपील में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है। आदेश पारित किया गया

ए. पी. टी. ई. एल. के तकनीकी और न्यायिक सदस्यों द्वारा समर्थित है। वह राशि जो रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को देय है, या रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के वकील के समझौते के अनुसार इस न्यायालय के पंजीयक के पास पड़े ब्याज के साथ दिनांक 1 के आदेश के अनुसार टी. पी. सी. द्वारा बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को भुगतान किया जाए। योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। नतीजतन, CA No.415/2007 में IA Nos.59365/2019 और 59374/2019 और CA No.3229/2007 में IA Nos.59356/2019 और <ID5 का निपटारा कर दिया जाता है। कोई अन्य आई. ए., यदि कोई हो,

निपटाया भी जाता है। कोई लागत नहीं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन